

(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 4/2018- एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 25 जनवरी, 2018

सा.का.नि..... (अ.)- एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 के साथ पठित केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, पंजीकृत व्यक्तियों की निम्नलिखित श्रेणियों को अर्थात :-

- (क) ऐसे पंजीकृत व्यक्ति जो कि किसी डेवलपर, बिल्डर, निर्माण कंपनी या अन्य कोई पंजीकृत व्यक्ति को किसी प्रतिफल के एवज में, पूर्णतः या अंशतः, किसी काम्पलैक्स, बिल्डिंग या निर्माण संरचना के लिए निर्माण सेवा के रूप में विकास के अधिकार को देते हैं; और
- (ख) ऐसे पंजीकृत व्यक्ति जो किसी विकास के अधिकार को देने वाले को किसी प्रतिफल के एवज में, पूर्णतः या अंशतः विकास के अधिकार के अंतरण के रूप में किसी काम्पलैक्स, भवन या निर्माण संरचना के निर्माण की सेवा की आपूर्ति करते हैं,

को ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों के रूप में अधिसूचित करती है जिनके मामले में उपर्युक्त उपवाक्य (क) में संदर्भित निर्माण सेवा के रूप में प्राप्त प्रतिफल पर और उपर्युक्त उपवाक्य (ख) में संदर्भित विकास के अधिकार के रूप में प्राप्त प्रतिफल पर, उक्त सेवा की आपूर्ति पर एकीकृत कर के भुगतान का दायित्व उस समय पैदा होगा जब उक्त डेवलपर, बिल्डर या निर्माण कंपनी, जैसी भी स्थिति हो, ऐसे निर्मित काम्पलैक्स, भवन या सिविल निर्माण कार्य के कब्जे या अधिकार का अंतरण उस व्यक्ति को करता है जिसने की किसी अंतरण विलेख या इसी प्रकार के अन्य किसी विलेख (जैसे कि आबंटन पत्र) में हस्ताक्षर करके अंतरित करता है ।

[फाइल संख्या 354/13/2018- टीआरयू]

(रुचि बिष्ट)  
अवर सचिव, भारत सरकार